न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

शांति बाई बनाम आदर्श विद्या मंदिर

प्रकरण संख्या :-04/21

1. शांति बाई पत्नी परमानंद जाति महाजन निवासी मनोहर थाना तहसील मनोहर थाना

.....
प्रार्थी

1. आदर्श विद्या मंदिर मनोहर थाना विद्यालय परिसर मनोहर थाना जरिए प्रधानाचार्य

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहर थाना

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 15.01.2026

उपस्थित

श्री अशोक कुमार लववंशी, अधिवक्ता प्रार्थी

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं- ग्राम मनोहर थाना पटवार हल्का मनोहर थाना तहसील मनोहर थाना के माल की खाता संख्या नया 710 पुरानी 603 की खसरा नंबर 1202 की 0.4128 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज है।

ग्राम मनोहर थाना पटवार हल्का मनोहर थाना तहसील मनोहर थाना के माल की खाता संख्या 874 पुरानी 704 की खसरा नंबर 1864/1260 की 1.6187 हेक्टेयर भूमि है जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आरजी को हाँकने व कृषि कार्य हेतु साधन निकालने के लिए वर्षों पुराना रास्ता है जो अप्रार्थी की खातेदारी आरजी में से होकर दक्षिण दिशा की मेड से होकर था जिस पर प्रार्थीया अपने बाप दादाओ के जमाने से उपयोग करती चली आ रही थी । प्रार्थीया की आराजी पर जाने का यह एकमात्र

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

वैकल्पिक रास्ता है जिसे अप्रार्थि द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थी को अपनी आरजी पर जाने वह कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । प्रार्थी ने अप्रार्थी की आराजी के दक्षिण दिशा की मेड से होकर निकलने बाबत दिनांक 5.1.2021 को मना करने से प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नंबर 1864 /160 की आराजी की दक्षिण दिशा की मेड़ पर होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र तथा जमाबंदी संवत 2072 2075 खाता संख्या नया 760 तथा खाता संख्या नया 874 एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि ग्राम मनोहरथाना में खसरा नंबर1202 तक जाने हेतु खसरा नंबर 1864/1260 से होकर रास्ता चाहा है। प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 1260 से होकर उपलब्ध है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है अतः उक्त प्रकरण में मौका स्थल की वर्तमान स्थिति के अनुसार 251 ए के तहत रास्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के प्रावधानानुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यान्तिक है, वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो लघुतम/निकटतम मार्ग (तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो) प्रदान करे। मार्ग भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित हो जाएगी।

यहां धारा 251क को देखना समीचीन होगा

251क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना - (1)जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या,यथास्थिति उनके जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखंड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर जो उसे अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाए, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुत्तम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा ना हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उसे अभिधारी को जो उसे भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या (विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखंड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए या प्रतिकर के संदाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानत: समान कीमत की और उसकी लगी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किए जाने पर) अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) क़े अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3) वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) में निरदिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा की उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में,जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य,तहसीलदार जाँच-रिपोर्ट का गौरपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। ततपश्चात न्यायालय का प्रकरण पर विधिक परीक्षण निम्ननुसार है :-

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.) सत्यमेव जयते

धारा 251क(1)(i) के अंतर्गत प्रार्थी को यह साबित करना आवश्यक है कि उसकी आवश्यकता आत्यान्तिक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अभिकथन किया है कि उसके खसरा नंबर 1202 तक पहुंचने के लिए अप्रार्थी की भूमि से होकर जाने वाला रास्ता एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है जिसे अवरुद्ध कर दिया गया है।

धारा 251क(1)(ii) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाए। तहसीलदार ने अपनी मौके पर जांच के आधार पर स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 1260 से होकर उपलब्ध है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है।"

यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तहसीलदार की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए वर्तमान में एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और वह चालू अवस्था में है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारा 251क(1)(ii) में वर्णित "वैकल्पिक साधन का अभाव" सिद्ध नहीं किया जा सका है। धारा 251क के अंतर्गत रास्ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक यह साबित करे कि (i) आवश्यकता आत्यान्तिक है, (ii) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, और (iii) प्रस्तावित मार्ग लघुत्तम/निकटतम है। जब वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो केवल सुविधा के आधार पर नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अभिकथन किया है कि प्रस्तावित रास्ता वर्षों पुराना है और उसके पूर्वजों के समय से उपयोग में आ रहा है, परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट, जो मौके पर जांच के आधार पर तैयार की गई है, अधिक विश्वसनीय एवं साक्ष्यिक मूल्य रखती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विधिक परीक्षण के आधार पर यह स्पष्ट है कि:

प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 1260 से होकर उपलब्ध है जो वर्तमान में चालू है।प्रार्थी द्वारा धारा 251क(1)(ii) में वर्णित "वैकल्पिक साधन का अभाव" सिद्ध नहीं किया गया है।तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में नया रास्ता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।प्रार्थी की मांग केवल सुविधा के लिए प्रतीत होती है, न कि आत्यान्तिक आवश्यकता के लिए।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सम्यक परीक्षणोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की आवश्यक शर्तों को पूर्ण नहीं करता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

:-आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ख़ारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना